

सुश्री मनीषा पावली / दयानन्द

46/2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
8.7.24	<p>पश्चात्पक्षी पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाइ तरतीब अकमील दाखिल दफ्तार हो। <i>Dir</i></p>	<p><i>Sharma</i></p> <p><u>Not press</u></p> <p><u>Kaun</u></p>